भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2495

15.12.2025 को उत्तर के लिए

नासिक में तेंदुआ सफारी संरक्षण परियोजना

2495. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में बढ़ते मानव-तेंदुआ संघर्ष पर ध्यान दिया है जिसके परिणामस्वरूप पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनेक लोग हताहत हुए हैं;

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दल, पर्यास पिंजरे और कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित शीघ्र पहचान प्रणाली जैसे बचाव और संघर्ष समाधान बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिए तत्काल की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जुन्नार में सफल मॉडलों से प्रेरित होकर आसपास के समुदायों की सुरक्षा और सतत पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नासिक में एक विशिष्ट तेंदुआ सफारी संरक्षण परियोजना शुरू की जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा और निगरानी व्यवस्था क्या है और यदि नहीं, तो अनुमोदन रोकने के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) जंगली जानवरों और उनके पर्यावासों का संरक्षण और प्रबंधन, जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन भी शामिल है, मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नासिक जिले में मानव-तेंदुआ संघर्षों में हुई मानव मृत्यु और मानव शरीर पर लगी चोट की घटनाओं का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	मानव मृत्यु होने की की घटनाएं	मानव शरीर पर चोट लगने की घटनाएं
22-2021	6	6
23-2022	5	6
24-2023	4	3
25-2024	7	6
26-2025	9	17

वन विभाग ने प्रशिक्षित कार्मिकों और आवश्यक उपकरणों के साथ त्वरित कार्रवाई दल (आरआरटी) को संचालित किया है और अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, संघर्ष मुख्य रूप से गैर-वन क्षेत्रों में होते हैं, अतः एआई आधारित कैमरा चेतावनी प्रणालियों तथा पशु घुसपैठ का पता लगाने एवं प्रतिरोधी प्रणाली (एनीडर्स) जैसी श्रवण निवारक प्रणालियों का उपयोग प्रायोगिक आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण महाराष्ट्र के पश्चिम नासिक वन मंडल के म्हसरुल में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव 30 अक्तूबर 2025 को प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव पर आयोजित अपनी 119वीं बैठक में चिड़ियाघर डिजाइनिंग पर विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक 06.11.2025 विचार किया गया था। महाराष्ट्र राज्य द्वारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

*****